No.F.22 – 5 / 2006 – TS.III (Pt.)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
*-*-*-*-*-*

Shastri Bhawan,
New Delhi, the 11th May, 2009

To

The Directors,
National Institutes of Technology (NITs)

**Subject:-** **First Statutes under the National Institutes of Technology Act, 2007 (29 of 2007) – Forwarding of the Gazette Notification.**

……………

Sir / Madam,

I am directed to forward herewith a copy of the Notification published in Gazette of India Extraordinary Part – II, Section – 3, Sub-Section – (i) dated 23rd April, 2009 regarding the First Statutes under the National Institutes of Technology Act, 2007 for information and necessary action.

Yours faithfully,

[MADAN MOHAN]
Director (NIT)
Telefax: 2338 7465

Discuss urgently & put up at file

Further n.a. to be taken by GA section

DR (GA)

Discussed
27/5

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2009/वैशाख 3, 1931

No. 243] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2009/VAISAKHA 3, 1931

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2009

**सा.का.नि. 280(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनियम विरचित करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—(1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रथम परिनियम है ।

(2) ये सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन प्रथम परिनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(ख) किसी संस्थान के संबंध में "प्राधिकारियों", "अधिकारियों" और "संकाय सदस्यों" से संस्थान के प्राधिकारी, अधिकारी और संकाय सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ग) "निर्माण और संकर्म समिति" से प्रथम परिनियम संख्या 12 के अधीन गठित संस्थान की निर्माण और संकर्म समिति अभिप्रेत है;

(घ) किसी संस्थान के संबंध में "केंद्र" से साधारणत: अंतर विषयक प्रकृति के शैक्षणिक क्रियाकलाप (जैसे अध्यापन, अनुसंधान आदि) में लगे हुए संस्थान की कोई शैक्षणिक इकाई अभिप्रेत है;

(ङ) किसी संस्थान के संबंध में "विभाग" से साधारणत: किसी विशिष्ट विद्या या क्षेत्र से संबंधित शैक्षणिक क्रियाकलाप (जैसे अध्यापन, अनुसंधान आदि) में लगे हुए संस्थान की कोई शैक्षणिक इकाई अभिप्रेत है;

(च) "वित्त समिति" से प्रथम परिनियम संख्या 10 के अधीन गठित संस्थान की वित्त समिति अभिप्रेत है;